[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 23rd March, 2016

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the Act), the Central Registration Centre (herein after referred to CRC) established *vide* notification number. S.O. 218(E) dated 22nd January 2016 shall also exercise functional jurisdiction of processing and disposal of e-forms and all related matters pertaining to registration of companies under section 7, 8 and 366 of the Companies Act, 2013 having territorial jurisdiction all over India.

2. The CRC shall process forms pertaining to registration of companies i.e. e-forms (INC-2, INC-7 and INC-29 along with linked forms INC-22, DIR-12 and URC-1 and any other forms as may be notified by the Central Government) filed along with the prescribed fee as provided in the Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.

3. The jurisdiction, processing and approval of name or names proposed in e-Form number INC-29 hitherto exercised by the respective Registrar of companies having jurisdiction over incorporation of companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder shall forthwith be exercised by Registrar, CRC.

4. The jurisdictional Registrar of companies, other than Registrar CRC, within whose jurisdiction the registered office of the company is situated shall continue to have jurisdiction over the companies incorporated by the Registrar, CRC under the Companies Act, 2013 for all other provisions of the Act and the rules made thereunder, which may be relevant after incorporation.

5. This notification shall come into force from **28th March, 2016.**

[F.No. A-42011/03/2016-Ad.II]

(Manoj Kumar)
Joint Secretary to the Govt. of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

का.आ. ..... (अ).- केंद्रीय रजिस्ट्रींकरण केन्द्र (जिसे यहां इसके पश्चात सीआरसी कहा गया है), अधिसूचना संख्या का.आ. 218(अ) तारीख 22 जनवरी, 2016 के माध्यम से स्थापित, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे यहां इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7, धारा 8 और धारा 366 के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित ई-प्ररूपों और सभी संबद्ध मामलों की प्रक्रिया और निपटान के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और इसका संपूर्ण भारत क्षेत्रीय अधिकारिता होगा।

2. सीआरसी कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाउपबंधित विहित फीस के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में फाइल किए गए प्ररूपों अर्थात ई-प्ररूपों (आईएनसी-2, आईएनसी-7 और आईएनसी-29, संयोजित प्ररूपों आईएनसी-22, डीआईआर-12 और यूआरसी-1 के साथ और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित अन्य प्ररूपों के साथ) पर कार्रवाई करेगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कंपनियों के निगमन पर क्षेत्राधिकार वाले संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा अब तक प्रयोग किए गए ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में प्रस्ताविक नाम अथवा नामों पर कार्रवाई और अनुमोदन पर क्षेत्राधिकार अब रजिस्ट्रार, सीआरसी द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

4. अधिकारिता करने वाले कंपनी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सीआरसी को छोड़कर, जिसके अधिकारिता में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों, जो निगमन के पश्चात सुसंगत हों, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रार, सीआरसी द्वारा निगमित कंपनियों पर अधिकारिता रखते रहेंगे।

5. यह अधिसूचना 28 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं.-ए-42011/03/2016-प्रशा-II]

(मनोज कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार